झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका सं० - 3505/2022

अरूप भट्टाचार्जी @ अरूप कुमार भट्टाचार्जी, उम्र लगभग 60 वर्ष, पिता माणिक लाल भट्टाचार्जी, निवासी सी-4/11, जयप्रभा कॉम्प्लेक्स, आउटर सर्कल रोड, कदमा, डाकघर+थाना - कदमा, जिला - पूर्वी सिंहभूम . ... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. झारखंड राज्य
2. तापस कुमार महापात्र, पिता - बिनोद कुमार महापात्र, निवासी - जोन नंबर 4, मकान नंबर. 6ए, बिरसानगर, ठाकुरजी पथ, डाकघर + थाना - बिरसानगर, जमशेदपुर, जिला - पूर्वी सिंहभूम **........... विपक्ष**

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता
श्री अंकित विशाल, अधिवक्ता
श्री अमित कुमार, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री विनीत कुमार वशिष्ठ, विशेष पीपी

विपक्षी संख्या 2 की ओर से : आसिफ खान, अधिवक्ता

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका धारा 482 सीआरपीसी के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आहवान करते हुए दायर की गई है, जिसमें विद्वान जे.एम.एफ.सी, जमशेदपुर की अदालत में लंबित आई.पी.सी की धारा 420, 406, 504, 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत शिकायत मामला संख्या 67/2021 के संबंध में संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, साथ ही विद्वान जेएमएफसी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 05.08.2022 के आदेश के तहत और जिसके तहत विद्वान मजिस्ट्रेट ने

याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया है।

3. याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि याचिकाकर्ता, जुस्को की कलिंगनगर इकाई का परियोजना प्रमुख होने के नाते, शिकायतकर्ता को कुछ काम सौंपा था, लेकिन उसने उसका भुगतान नहीं किया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (टाटा स्टील यूआईएसएल) जिसे आमतौर पर जे.यू.एस.सी.ओ के नाम से जाना जाता है, में चीफ डी.एम. (ओडिशा बिजनेस) के पद पर कार्यरत है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि यह शिकायत बिना किसी उचित कारण के आठ साल की अत्यधिक देरी के बाद दायर की गई है और सह-आरोपी जेयूएससीओ के महाप्रबंधक (ईपीसी) और जेयूएससीओ के क्रय प्रमुख कंपनी के गैर-मौजूद पदनाम हैं।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि 3,44,404/- रुपए के बिल के विरुद्ध 3,39,965/- रुपए की राशि शिकायतकर्ता को दी गई है और 28,32,783/- के बिल के विरुद्ध 25,93,314/- रुपए की राशि आरटीजीएस और चेक के माध्यम से शिकायतकर्ता को दी गई है और याचिकाकर्ता बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए दावे के आधार पर बकाया राशि का दावा कर रहा है। इसके बाद दलील दी गई कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप झूठा है और पक्षों के बीच विवाद सिविल विवाद है और आईपीसी की धारा 420 या 406 के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं बनता है और विद्वान मजिस्ट्रेट का आदेश एक गैर-स्पीकिंग आदेश है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि जैसा कि जांच गवाह संख्या 4 राजेश कैबार्ता और जांच गवाह संख्या 5 संतोष उर्फ प्रेम शंकर ने स्वीकार किया है, कार्य जे.यू.एस.सी.ओ द्वारा आवंटित किया गया था, जो कि कंपनी अधिनियम के तहत निगमित एक निगमित निकाय है, लेकिन उक्त कंपनी को अभियुक्त के रूप में नहीं खड़ा किया गया है और याचिकाकर्ता द्वारा कोई प्रत्यक्ष कार्य किए बिना, केवल याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए, उसे अभियुक्त के रूप में खड़ा किया गया है।

6. अपने तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **वीर प्रकाश शर्मा बनाम अनिल कुमार अग्रवाल एवं अन्य (2007) 7 एससीसी 373** में दिए गए निर्णय का हवाला दिया है, जिसका पैरा 8 इस प्रकार है:-

> "8. इस मामले में पक्षों के बीच विवाद मूलतः एक सिविल विवाद है। माल की कीमत का भुगतान न करना या कम भुगतान करना अपने आप में धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं है। दंड संहिता की धारा 405 में निहित आपराधिक विश्वासघात की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में कोई अपराध नहीं किया जा सकता है। दंड संहिता की धारा 405 में इस प्रकार लिखा है:
>
> > "405. आपराधिक न्यास भंग।- जो कोई, किसी भी तरह से संपत्ति सौंपी जाने पर, या संपत्ति पर किसी आधिपत्य के साथ, बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है या उसे अपने उपयोग में लाता है, या उस संपत्ति का बेईमानी से उपयोग करता है या उसका निपटान करता है, कानून के किसी निर्देश का उल्लंघन करते हुए, जिसमें उस न्यास के निर्वहन का तरीका निर्धारित किया गया है, या किसी कानूनी अनुबंध का उल्लंघन करता है, चाहे वह व्यक्त हो या निहित, जो उसने ऐसे न्यास के निर्वहन के संबंध में किया है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, वह 'आपराधिक न्यास भंग' करता है।
> >
> > उपर्युक्त प्रावधान के अवयवों के अस्तित्व को दर्शाने के लिए न तो कोई आरोप लगाया गया है और न ही इस संबंध में कोई बयान दिया गया है। (जोर दिया गया)

और प्रस्तुत करता है कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि जब पक्षों के बीच विवाद अनिवार्य रूप से एक सिविल विवाद है, तो माल की कीमत का भुगतान न करना या कम भुगतान करना अपने आप में धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं माना जाता है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **शरद कुमार सांघी बनाम संगीता राणे (2015) 12 एससीसी 781 के** मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया है, जिसका पैरा 11 इस प्रकार है:-

> "11. जैसा कि शिकायतकर्ता के शुरुआती बयान से पता चलता है, इस मामले में आरोप कंपनी के खिलाफ हैं, कंपनी को पक्ष नहीं बनाया गया है और इसलिए आरोप प्रबंध निदेशक तक ही सीमित हैं। जैसा कि हमने

पहले उल्लेख किया है, आरोप अस्पष्ट हैं और वास्तव में, मुख्य रूप से आरोप कंपनी के खिलाफ हैं। प्रबंध निदेशक के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है। जब किसी कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है, भले ही कुछ कानूनों के तहत प्रतिनिधि दायित्व तय किया गया हो। यह अनिता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स एंड टूर्स (पी) लिमिटेड [अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स एंड टूर्स (पी) लिमिटेड, (2012) 5 एससीसी 661: (2012) 3 एससीसी (सिविल) 350: (2012) 3 एससीसी (क्रि) 241] में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम, 1881 के संदर्भ में माना गया है।"
(जोर दिया गया)

और प्रस्तुत किया कि मुख्य रूप से आरोप कंपनी के खिलाफ हैं और कंपनी को एक पक्ष के रूप में नहीं रखा गया है, इसलिए, इसके खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है, भले ही कुछ क़ानूनों के तहत याचिकाकर्ता पर प्रतिनिधि दायित्व लगाया गया हो।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **अख्तर शकील बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया है, जो **आपराधिक अपील संख्या (एस) 217/2020** में रिपोर्ट किया गया है, जो एसएलपी (सीआरएल) संख्या (एस) 8483/2020 दिनांक 03.02.2020 से उत्पन्न हुआ है, जिसमें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि किसी को इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि एफआईआर बकाया राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने की समय सीमा समाप्त होने के काफी समय बाद दर्ज की गई है। इसलिए, यह बहुत ही वैध रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आपराधिक अभियोजन की संस्था मूल रूप से किसी भी धन संबंधी दावे को प्राथमिकता देने में सीमा की बाधा को दूर करने के लिए थी और आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ शिकायत केस संख्या 67/2021 के संबंध में दिनांक 05.08.2022 के आदेश को रद्द कर दिया जाए और याचिकाकर्ता के लिए अलग रखा जाए।

9. दूसरी ओर, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान विशेष पीपी और विद्वान वकील ने शिकायत केस संख्या 67/2021 के संबंध में संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही और दिनांक 05.08.2022 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध

किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पैसे का भुगतान न करने के लिए जिम्मेदार होने का सीधा आरोप है और धारा 406, 420 के तहत दंडनीय अपराध बनता है और इसलिए, यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के खारिज की जाती है।

10. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुनने और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के पश्चात, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यह विधि का स्थापित सिद्धांत है, जैसा कि **उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** के मामले में स्थापित किया गया है, जिसकी रिपोर्ट **(2005) 10 एस.सी.सी. 336** में दी गई है, जिसका पैराग्राफ संख्या 6 इस प्रकार है:-

> **6.** Xxxx xxxx xxxx यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुबंध का हर उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन मामलों में अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के बराबर होगा जहां शुरुआत में कोई धोखा दिया गया था। यदि धोखा देने का इरादा बाद में विकसित हुआ है, तो यह धोखाधड़ी नहीं हो सकती। वर्तमान मामले में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि शुरू में आरोपी व्यक्तियों की ओर से धोखा देने का कोई इरादा था जो कि धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध के लिए एक शर्त है। (जोर दिया गया)

अनुबंध का हर उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन मामलों में अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के बराबर होगा, जहां शुरुआत में ही कोई धोखा हुआ हो। अगर धोखा देने का इरादा बाद में विकसित हुआ है, तो यह धोखाधड़ी नहीं होगी।

11. अब मामले के तथ्यों पर आते हैं; यह तथ्य निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए बिलों का बड़ा हिस्सा चुकाया है और आरोप मूल रूप से सिविल प्रकृति का है और एकमात्र आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता से कुछ काम करवाया लेकिन उसके लिए भुगतान नहीं किया और तथ्य यह है कि जैसा कि जांच गवाह संख्या 4 और 5 ने कहा है, यह JUSCO है, जिसने शिकायतकर्ता को काम दिया और याचिकाकर्ता को परियोजना प्रमुख होने और शिकायतकर्ता द्वारा कथित काम करवाने और पैसे का भुगतान न करने में उनकी कोई विशेष भूमिका नहीं बताई गई है। मूलतः, यह विवाद याचिकाकर्ता की कंपनी को सूचनाकर्ता द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का कम भुगतान या भुगतान न करने का है,

इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 के अंतर्गत दंडनीय अपराध गठित करने के लिए आवश्यक किसी अन्य तत्व के अभाव में, भले ही शिकायत में लगाए गए संपूर्ण आरोप, जांच गवाह का बयान और शिकायतकर्ता के गंभीर प्रतिज्ञान पर बयान को पूरी तरह से सत्य मान लिया जाए, फिर भी इस न्यायालय की सुविचारित राय में न तो भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत दंडनीय अपराध बनता है और न ही भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत दंडनीय अपराध बनता है, खासकर तब, जब शिकायत सात वर्ष से अधिक की देरी के बाद दायर की गई हो और आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

12. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस विचार पर है कि यह एक उपयुक्त मामला है, जहां संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ शिकायत मामला संख्या 67/2021 के संबंध में दिनांक 05.08.2022 के आदेश को याचिकाकर्ता के लिए रद्द कर दिया जाना चाहिए।

13. तदनुसार, संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ शिकायत मामला संख्या 67/2021 के संबंध में दिनांक 05.08.2022 के आदेश को रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ता के संबंध में अपास्त किया जाता है।

14. परिणामस्वरूप, इस आपराधिक विविध याचिका को अनुमति दी जाती है और तदनुसार, पहले पारित अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, निरस्त माना जाता है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 11 दिसंबर, 2023
स्मिता/एएफआर

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।